

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा


कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 110 /2025 दिनांक :19 .02.2025

श्रीमती ममता मीणा (RJ01124), विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), उदयपुर को दिनांक 24.02.2025 से 10.03.2025 तक 15 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 22.02.2025 से 23.02.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती मीणा की अनुपस्थिति में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), उदयपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), उदयपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


  
18/02/25  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/112/2016/ 1500

दिनांक :19 .02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 928 दिनांक 04.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती ममता मीणा (RJ01124), विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), उदयपुर।
4. विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), उदयपुर।
5. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), उदयपुर।

  
18/02/25  
सहायक रजिस्ट्रार